

प्रेम्बर,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदायकेंद्र,
प्रति विहार नईदिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक:

29 जून, 2005

विषय:- **मानिम स्टार चिल्ड्रेन अकादमी क्रमेर रोड, उरई, कन्नड-बालीन को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।**

प्रसोटप,

उपरोक्त विषय को ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उसे यह बताने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित संस्थान को **सी0बी0एस0ई0** नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विधानसभा की पंजीकृत सार्वकारी या सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विधानसभा की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विधानसभा में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के गंधापी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 मा0शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विधानसभा में विभिन्न बच्चों के लिए निर्धारित गुण से अधिक गुण नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा संत0 शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त है तथा विधानसभा की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्तिल फार दि इन्डियन स्कूल स्टांफिण्डेड डेवलापमेन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सहायता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 151 संस्था वैश्विक एवं विश्वोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सेवायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य बतलाना तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सेवायता प्राप्त अशास्त्रीय उच्चतर आधुनिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति या लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/पंजीजाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिपक्व नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गुरु या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्तर्गत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,


शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।

पुस्तक संख्या एवं दिनांक लैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक अध्यायी देणु

प्रिभित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, **दादरी** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **बालीन** ।
- 4- निरीक्षक, आंश भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **मार्निंग स्टार विद्युत उकादमी, बरभररोड उरई, बालीन** ।
- 6- गार्ड बुक ।

अहमि से

शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव ।